



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251786
CG-DL-E-03022024-251786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

No. 79]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 88(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियमावली जिसे केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (झ) और (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, तद्वारा संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है, और नोटिस एतद्वारा दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना के मसौदे के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, वरिष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली-110016 को या akhilesh.g@nic.in और praveen@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

मसौदा नियमावली

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;
- (ख) 'वार्षिक रिपोर्ट' से अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत कार्यकारी परिषद द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है;
- (ग) 'बजट' से अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यकारी परिषद द्वारा तैयार किया गया बजट अभिप्रेत है;
- (घ) 'प्रपत्र' से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्रपत्र अभिप्रेत है;
- (ङ) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित परंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों का तात्पर्य वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किया गया हो।
3. बजट तैयार करने हेतु प्रपत्र — कार्य परिषद इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र 'क' में अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बजट तैयार करेगी और उसे प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी।
4. वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति — (1) कार्य परिषद हर साल एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसमें इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र-'ख' में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान की गतिविधियों का सही और पूरा लेखा-जोखा में दिया जाएगा।
- (1) कार्य परिषद, यदि प्रतिष्ठान की गतिविधियों का पूरा विवरण देने के लिए ऐसा आवश्यक हो, तो वार्षिक रिपोर्ट में किसी अन्य मद को भी शामिल कर सकती है, जो अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र-'ख' में शामिल नहीं हो।
- (2) कार्य परिषद, वार्षिक रिपोर्ट को जिस वर्ष के लिए तैयार किया गया हो, उस वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को भेजेगी।
5. वे मामले जिनके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो — वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप और समय से संबंधित मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे प्रत्येक मामले को केंद्रीय सरकार के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा।

अनुसूची

प्रपत्र-'क'

(नियम 3 देखें)

भाग I

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

बजट अनुमान विवरण

योजना बजट (सभी आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष के लिए संशोधित अनुमान: (चालू वर्ष) और

वर्ष के लिए बजट अनुमान: (अगला वर्ष)

क्र.सं.	मद/शीर्ष	वास्तविक व्यय (पूर्व वित्त वर्ष)	बजट अनुमान (चालू वित्त वर्ष)	प्रस्तावित संशोधित अनुमान (चालू वित्त वर्ष)	प्रस्तावित बजट अनुमान (अगला वित्त वर्ष)
1.	वेतन				
	1.1 वेतन एवं भत्ता				
	1.2 राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में अंशदान				
	1.3 केंद्रीय भविष्य निधि में अंशदान				

क्र.सं.	मद/शीर्ष	वास्तविक व्यय (पूर्व वित्त वर्ष)	बजट अनुमान (चालू वित्त वर्ष)	प्रस्तावित संशोधित अनुमान (चालू वित्त वर्ष)	प्रस्तावित बजट अनुमान (अगला वित्त वर्ष)
	1.4 छुट्टी यात्रा रियायत				
	1.5 चिकित्सा दावा				
	1.6 उपदान				
	1.7				
2.	कार्यालय व्यय				
	2.1 लेखन सामग्री				
	2.2 दूरभाष				
	2.3 विद्युत				
	2.4 जल				
	2.5 फर्नीचर की अधिप्राप्ति				
	2.6 वाहन				
	2.7 अनुरक्षण				
	2.8 इंटरनेट, ई-सेवाएं				
	2.9				
3.	लघु कार्य				
4.	प्रमुख कार्य				
5.	घरेलू यात्रा				
6.	विदेश यात्रा				
7.	किराया, दर एवं कर				
8.	दीर्घावधि अग्रिम				
9.	अन्य प्रशासनिक व्यय				
10.	विज्ञापन और प्रचार				
11.	प्रकाशन				
12.				
13.				
	कुल				

भाग II

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान
प्राप्तियां और व्यय (सभी आंकड़े लाख रु. में)
वर्ष के लिए संशोधित अनुमान: (चालू वर्ष)

प्राप्तियां

क्र. सं.	विवरण	संशोधित अनुमान (चालू वर्ष)
1.	अथ शेष	
2.	अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्रोतों से अनुदान/प्राप्तियां	

3.	अन्य स्रोतों से अनुदान/प्राप्तियां	
4.	बैंक से ब्याज	
5.	विविध प्राप्तियां	
	5.1 अतिथि गृह	
	5.2 अनुज्ञप्ति शुल्क	
	5.3 पेटेंट और लॉयल्टी	
	5.3	
	कुल	

व्यय

क्र. सं.	विवरण	संशोधित अनुमान (चालू वर्ष)
1.	पूँजीगत व्यय	
2.	राजस्व व्यय	

प्रपत्र-‘ख’**[नियम 4(1) देखें]****वार्षिक रिपोर्ट का संरूप****(क) प्रतिष्ठान**

- (1) शासी बोर्ड का संघटन
- (2) कार्य परिषद की संरचना
- (3) संगठनात्मक चार्ट और विभिन्न समितियों की संरचना
- (4) शासी बोर्ड, कार्य परिषद और अन्य समितियों की आयोजित बैठकें
- (5) विभिन्न समितियों की गतिविधियों पर रिपोर्टें

(ख) कार्यक्रम

- (1) सहायित प्रमुख कार्यक्रम
- (2) प्रमुख स्कीमें और पहलें
- (3) निधीयित बाह्य प्रतिष्ठान अनुसंधान परियोजनाएं/कार्यक्रम
- (4) महत्वपूर्ण अनुसंधान की मुख्य बातें
- (5) सहायित अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां
- (6) सहायित सम्मेलन/संगोष्ठियां
- (7) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

(ग) परिणाम

- (1) परियोजनाओं से उत्पन्न पत्रों/प्रकाशनों/रिपोर्टों की संख्या
- (2) परियोजनाओं से प्राप्त प्रौद्योगिकियां/उत्पाद

(घ) बजट और वित्त

- (1) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- (2) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान निधि, नवोन्मेष निधि, और विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड निधि में उपलब्ध शेष राशि।

[फा. सं. डीएसटी/एएनआरएफ/ज़ेड-02/2023]

अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2024

G.S.R. 88(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (g) and (h) of sub-section (2) of Section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Senior Adviser, Department of Science and Technology, Government of India, Technology Bhawan, New Delhi – 110016 or by e-mail at akhilesh.g@nic.in and praveen@nic.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation (budget and annual report) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - a) ‘**Act**’ means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);
 - b) ‘**annual report**’ means the annual report prepared by the Executive Council under section 15 of the Act;
 - c) ‘**budget**’ means the budget prepared by Executive Council under section 14 of the Act;
 - d) ‘**Form**’ means the forms annexed to these rules;
 - e) ‘**Schedule**’ means the schedule annexed to these rules;
 (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- 3. Form for preparation of budget.** — The Executive Council shall prepare the budget, as approved by the Governing Board, for the next financial year in Form -‘A’ specified in the Schedule appended to these rules and shall submit the same to the Central Government by 31st October of every year.
- 4. Preparation and furnishing of the annual report.** — (1) The Executive Council shall prepare once in every year an annual report and submit a copy of the same to the Central Government, giving a true and full account of the Foundation’s activities during the previous financial year in Form -‘B’ specified in the Schedule, appended to these rules.
(1) The Executive Council may also include in the annual report any other item, not included in Form-‘B’ specified in the Schedule, if so required to give a full account of the Foundation’s activities.

(2) The Executive Council, shall forward the annual report to the Central Government within a period of one hundred and eighty days immediately following the close of the year for which it has been prepared.

5. **Matters with respect to which no provision has been made.** — The matters relating to form and time of annual report, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Form-‘A’

(see rule 3)

Part I

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION

Statement of Budget Estimates

Plan Budget (All figures in Rs. lakh)

Revised Estimates for the year: (current year) and

Budget Estimates for the year: (next year)

S. No.	Item/ Head	Actual Expenditure (last financial year)	Budget Estimates (current financial year)	Proposed Revised Estimates (current financial year)	Proposed Budget Estimates (next financial year)
1.	SALARY				
	1.1 Pay and Allowances				
	1.2 Contribution to National Pension Scheme				
	1.3 Contribution to Central Provident Fund				
	1.4 Leave Travel Concession				
	1.5 Medical Claim				
	1.6 Gratuity				
	1.7				
2.	OFFICE EXPENSES				
	2.1 Stationery				
	2.2 Telephone				
	2.3 Electricity				
	2.4 Water				
	2.5 Procurement of furniture				
	2.6 Vehicles				
	2.7 Maintenance				
	2.8 Internet, e-services				
	2.9				
3.	Minor Works				
4.	Major Works				
5.	Domestic Travel				
6.	Foreign Travel				

S. No.	Item/ Head	Actual Expenditure (last financial year)	Budget Estimates (current financial year)	Proposed Revised Estimates (current financial year)	Proposed Budget Estimates (next financial year)
7.	Rent, Rates & Taxes				
8.	Long Term Advances				
9.	Other Administrative Expenses				
10.	Advertisements & Publicity				
11.	Publications				
12.				
13.				
	TOTAL				

Part II**ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION****Receipts and Expenditure (All figures in Rs. lakh)****Revised Estimates for the year: (current year)****Receipts**

S. No.	Particulars	Revised Estimates (current year)
1.	Opening balance	
2.	Grants/ Receipts from the sources specified under section 13 of the Act	
3.	Grants/ Receipts from other sources	
4.	Interest from bank	
5.	Miscellaneous Receipts	
	5.1 Guest House	
	5.2 License fees	
	5.3 Patents and royalties	
	5.3	
	TOTAL	

Expenditure

S. No.	Particulars	Revised Estimates (current year)
1.	Capital Expenditure	
2.	Revenue Expenditure	

Form-'B'

[see rule 4(1)]

FORMAT OF THE ANNUAL REPORT*a) The Foundation*

- (1) Composition of the Governing Board
- (2) Composition of the Executive Council

- (3) Organisational Chart and composition of and various Committees
- (4) Meetings of the Governing Board, Executive Council and other Committees held
- (5) Reports on activities of various Committees

b) The Programmes

- (1) Major Programmes Supported
- (2) Major Schemes and Initiatives
- (3) Extramural Research Projects/ Programmes funded
- (4) Important Research Highlights
- (5) Fellowships/ Scholarships supported
- (6) Conferences/ Seminars supported
- (7) International Programmes

c) The Output

- (1) Number of papers/ publications/ reports emanating out of projects
- (2) Technologies/ products emanating out of projects

d) The Budget and Finance

- (1) Audited Financial Statements
- (2) Balance available in the Anusandhan National Research Foundation Fund, Innovation Fund, and Science and Engineering Research Board Fund.

[F. NO.DST/ANRF/Z-02/2023]

AKHILESH GUPTA, Sr. Advisor